Mussoorie Dehradun Development Authority, Dehradun

Transport Nagar, Saharanpur road,Near ISBT,
Dehradun-248001,
(Uttaranchal) INDIA

Phone : 0135-6603100
Fax : 0135-6603150
Email : info@mddaonline.in
Website : www.mddaonline.in

Sanction Letter

M/S : PARUL GUPTA
Plot No : 1251
Sector : Sector 5
Date : 28/03/2019

Referrence No : R-3161/18-19
Map No :
Total No Of Sheets :
Approval No : MDDA/0431/2019

Subject :

Approval of the Building plan, unit situated at Khasara Number. - 1251, SiteAddress. - CHAK TUNWALA , Village. - Chaktunwala, City. - Dehradun, Sector.- Sector 5, Pincode.- 248008, Tehsil. - Dehradun, District.-Dehradun, Uttarakhand, India.

Your Application dated 28/03/2019 regarding construction (with enclosed map) proposed by you situated at Khasara Number. - 1251, District.-CHAK TUNWALA, Village.-Chaktunwala, City.-Dehradun, Sector.- Sector 5, Pincode. - 248008, Tehsil. - Dehradun, District.-Dehradun, Uttarakhand, India, Owner Name.-PARUL GUPTA has been accepted with the following terms and conditions

1. This map is valid for five years from the date of approval, after that no construction work will be done.
2. By approval of this map, the rights and ownership of any government department or local body or any individual in the government department is not affected.
3. The Map will be used for the same purpose for which it has been approved, if there is any deviation in purpose, the whole construction will be considered invalid.
4. For any development work in future, if development charges are asked, shall be payable without any objection. If required, additional development charges for any project development work in the same area shall be paid without any objection, so that the development work of the area can be done from the development charges received from the same area.
5. The government or the local body will not be responsible for any development work in the area which is not suitable for the development work.
6. Doors and windows should be fixed in such a way that they don't open in any government land or roadand do not affect the light or air of another house.
7. One approved copy of the map shall always be kept at the construction site so that it can be investigated at any time. The construction will be done as per the approved map specifications and the applicant shallbe responsible for ownership of the building.
8. The road service lane or the government land shall not be used for putting any building construction material and the arrangement of sewage shall be done by self.
9. After the completion of the construction work, within 3 months of the completion according to the approved map,certificate should be obtained from the authority then only the building should be used else the approval will be cancelled.
10. If there is any tree in construction area; before cutting it, approval must be taken.

Name : SUNIL PARASHAR
Designation : Dehradun
Organization : Personal
Certificate : F63ED5

11 After getting the approval, at any point of time if the Vice Chairman or any other authorized person finds out the approval has been taken by hiding the facts or by submitting the forged,documents the officer will have right to cancel the approval and in that case the construction under the map will stand cancelled.

12 After getting the approval if the court cancels the ownership of the applicant the approval will stand cancelled automatically.

13 The approval of the map will not be considered as ownership of the map and in any court this map will not be considered as proof of land ownership.

14 If there is any violation on ceiling land, government land or public land, this approval will stand cancelled automatically.

15 In road widening area if there is any violation of boundary wall, gate or public land, the approval will stand cancelled automatically.

16 In summer season, keeping in view the drinking water scarcity, between 15th April to 30th June; the construction will not be done.

17 Hill cutting will not be done from any hilly terrain.

18 During the building construction, earthquake and other security measures must be considered.

19 2 trees must be planted in the front portion of the building.

20 In case if there is change in name of the building owner in the approved map or renaming the building,it is mandatory to inform the authority.

21 यह कि उत्तराखण्ड षासन के विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्याः 307/गगगअप;03द्ध/2011/55(1)/2011 दिनांक 04.10.2011, उत्तराखण्ड सरकार के सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना गगगअप;03द्धळ/2011, दिनांक 31.10.2011 जो कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

22 यह कि स्थलानुसार तकनीकी जाॅच सम्बन्धित क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा की जायेगी। तकनीकी रूप से भवन उपविधि/उपनियमों/षासनादोषों का उल्लंघन करने अथवा षपथ-पत्र में की गयी घोशणा को असत्य पाये जाने पर आवेदक एवं मानचित्रकार/आर्किटेक्ट के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

23 प्रष्नगत स्वीकृति सिर्फ संलग्न मानचित्र पर षपथ-पत्र के आधार पर प्रदान की जा रही है। इस स्वीकृति से किसी अन्य षासकीय विभाग, निकाय आदि की अनापत्ति/सहमति नहीं मानी जायेगी। किसी अन्य षासकीय विभाग, निकाय आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना एवं उनसे सम्बन्धित प्राविधानों आदि के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी, प्राधिकरण इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगी। यदि किसी विभाग से आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रष्नगत मानचित्र की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

24 यह कि मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से पाच वर्श तक वैद्य है उसके बाद कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।

25 मानचित्र की स्वीकृति से षासकीय विभाग से स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते हैं।

26 मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। प्रयोजन मे ंपरिवर्तन होने पर पूरा निर्माण अनाधिकृत माना जायेगा।

27 यदि भविश्य में किसी विकास कार्य हेतु विकास व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा तथा उक्त क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित किसी परियोजना विकास कार्य हेतु अतिरिक्त विकास षुल्क बिना किसी आपत्ति के जमा करना होगा ताकि उक्त क्षेत्र से प्राप्त विकास षुल्क से ही उक्त क्षेत्र का विकास कार्य सम्पादित कराया जा सके।

28 जो क्षेत्र विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगा वहाॅ पर षासन अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।

29 दरवाजे तथा खिड़कियां इस तरह से लगाये जायें कि वह जब खुलें तो उसके पल्ले सरकारी भूमि या सड़क की ओर न बढ़ें व किसी अन्य मकान की रोषनी व हवा को प्रभावित न करते हों।

30 बिजली की लाईन से 05 फिट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

31 स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सदैव निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कभी भी जाॅच की जा सकें तथा निर्माण स्वीकृत मानचित्र स्पेषीफिकेषन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन/भूखण्ड के स्वामित्व की जिम्मेदारी भी आवेदक की होगी।

32 सड़क, सर्विस लेन तथा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटिरियल) नहीं रखा जायेगा तथा गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

33 निर्माण कार्य समाप्त होने के तीन माह के अन्दर आप निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पूरा होने के पूर्णता का प्रमाण-पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करें। तदोपरान्त ही भवन को [illegible] लायें अन्यथा स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

34 निर्माण के अन्दर यदि कोई वृक्ष आता है तो उसको काटने से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी

35 पानी की निकासी के लिए बैंड छोड़ना होगा।

36 यदि अनुमति प्राप्त करने के बाद किसी भी समय उपाध्यक्ष अथवा उसके अधिकृृत इस बात से सन्तुश्ट हैं कि उक्त अनुमति तथ्यों को छुपाकर अथवा फर्जी एवं जाली तथ्य प्रस्तुत [illegible] प्राप्त की है तो उक्त अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उक्त अनुमति को निरस्त कर सकते हैं व उक्त मानचित्र के अन्तर्गत किया गया निर्माण अवैध माना जायेगा।

37 इस मानचित्र की स्वीकृति को मानचित्र के स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जायेगा और किसी न्यायालय में केवल मानचित्र को भू-स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जायेगा।

38 सीलिंग भूमि, नजूल भूमि अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

39 रोड वाईडनिंग के क्षेत्र में बाउण्ड्रीवाल अथवा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

40 भवन निर्माण के समय भूकम्प व सुरक्षात्मक तकनीकी प्रयोग में लाना अनिवार्य होगा तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की होगी।

41 भवन के खुले क्षेत्र एवं अग्र भाग में नियमानुसार पेड़ लगाना अनिवार्य होगा।

42 रेनवाटर हारवेस्टिंग्स व सीवर व्यवस्था का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।

43 निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड जल संस्थान का अनापत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।

Name : SUNIL PARASHAR
Designation : Dehradun
Organization : Personal
Certificate : F63ED5